रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24032023-244657
CG-DL-E-24032023-244657

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1370] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 24, 2023/चैत्र 3, 1945
No. 1370] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 24, 2023/CHAITRA 3, 1945

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2023

का.आ. 1423(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 30.09.2022 की अधिसूचना का.आ.4621(अ) के तहत नागालैंड राज्य के 9 जिलों एवं 4 अन्य जिलों के 16 पुलिस थाना क्षेत्रों को 01.10.2022 से छ: माह की अवधि तक 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया था।

और यत: नागालैंड राज्य में कानून और व्यवस्था की आगे और समीक्षा की गई है।

इसलिए, अब नागालैंड राज्य में दिमापुर, निउलैंड, चुमुकेदिमा, मोन, किफिरे, नोकलाक, फेक और पेरेन जिलों और i) कोहिमा जिले में खुजामा, कोहिमा-उत्तर, कोहिमा-दक्षिण, जुबजा और केजोचा पुलिस थाने; ii) मोकोकचुंग जिले में मांगकोलेंबा, मोकोकचुंग-I, लोंगथो, तुली, लोंगचेम और अनाकी 'सी' पुलिस थाने; iii) लोंगलेंग जिले में यांगलोक पुलिस थाना; और iv) वोखा जिले में भंडारी, चांमपांग और रालान पुलिस थाने; और (v) जुनहेबोटो जिले में घटासी, पुघोबोटो, सताखा, सुरूहुतो, जुनहेबोटो और अघुनाटो पुलिस थाने, के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 01.04.2023 से छ: माह तक 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया जाता है, जब तक कि इसे इससे पहले वापस न लिया जाए।

[फा. सं. 7/10/2003-एन.ई.-I]

पियूष गोयल, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 2023

S.O. 1423(E).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared 9 districts and 16 Police Stations in 4 other districts of the state of Nagaland as 'disturbed area' for a period of six months with effect from 01.10.2022 vide Notification S.O.4621(E) dated 30.09.2022.

And whereas a further review of the law and order situation in the state of Nagaland has been undertaken.

Now, therefore, Dimapur, Niuland, Chumoukedima, Mon, Kiphire, Noklak, Phek and Peren districts in Nagaland and the areas in Nagaland falling within the jurisdiction of i) Khuzama, Kohima North, Kohima South, Zubza and Kezocha police stations in Kohima District; ii) Mangkolemba, Mokokchung-I, Longtho, Tuli, Longchem and Anaki 'C' police stations in Mokokchung District; iii) Yanglok police station in Longleng District; iv) Bhandari, Champang and Ralan police stations in Wokha District; and v) Ghatashi, Pughoboto, Satakha, Suruhuto, Zunheboto and Aghunato police stations in Zunheboto District, are declared as 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 for a period of six months with effect from 01.04.2023, unless withdrawn earlier.

[F. No. 7/10/2003-NE.I]

PIYUSH GOYAL, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA